तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका... हुक्म ... में ज...
14-10-20	वकील उभयपक्ष उप0। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दि0 5-11-20 को पेश हो।	
5-11-2020	वकील उभयपक्ष उप0। वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पत्रावली दि0 3-12-2020 को पेश हो।	
3-12-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-1-2021 को पेश हो। रीडर	
6-1-2021	पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर/~~ अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि0 15-1-2021 को पेश हो। रीडर	
15-1-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण धारा 136 L.R.Act के तहत कवर नहीं होता है, प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। इस बिन्दु पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 29-1-2021 को पेश हो।	
29-1-2021	वकील उभयपक्ष उप0। धारा 136 L.R.Act के तहत प्रस्तुत यह प्रा0पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

अहकाम
हुक्म के
में जा

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/2015	7.4.2015	29.1.2021

परसादी पुत्र मुडया जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
---प्रार्थी

बनाम

1.लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2.नानजी पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
3.रमेश पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
4.परसाद पुत्र ग्यारस्या, बैरबा निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
5.पप्पू पुत्र रामपाल, बैरबा निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
6.प्रेमराज पुत्र रामपाल, बैरबा निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी
---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :—श्री आर.डी.त्रिवेदी, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री जे.के. गर्ग, एडवोकेट अप्रार्थी 2, 3 की ओर से
श्री भगवान सहाय शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी 4 की ओर से
श्री बाबूलाल मीना, एडवोकेट अप्रार्थी 6 की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी का गत ख0न0 220 रकबा 12 विस्वा भूमि एकीकरण के समय बने कागजात राजस्व में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज रहा हैं तथा मौके पर भी आबादी बनी हुयी है व आबादी के काम आ रहा है। नक्शा ट्रेस भूमि एकीकरण में भी इसी रूप में दर्शित रही है। भूमि एकीकरण के पश्चात हुये सेटलमेन्ट आपरेशन में सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने भूमि गत ख0नं0 220 के नये नम्बरान नवीन ख0नं0 393 रकबा 3 ऐयर व 484 रकबा 28 ऐयर मिलान क्षेत्रफल के जरिये बनाये है। ख0नं0 484 ख0न0 393 से काफी दुर है। इसलिए ख0न0 484 किसी भी सूरत में गत ख0न0 220 से बनना नहीं पाया जाता है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने भूलवश गलती करके यह मिलान बनाया है। भूमि ख0न0 220 के भूमि एकीकरण के समय तैयार नक्शा व हाल सेटलमेन्ट में बनाये नक्शों के मिलान करने पर स्पष्ट मालूम पडता है कि गत ख0न0 220 रकबा 12 विस्वा से हाल ख0नं0 393 रकबा 3 ऐयर, 381/1841 रकबा 07 ऐयर, तथा ख0नं0 381 रकबा 14 ऐयर के 5 ऐयर हिस्से से बने है तथा मौके पर इन्ही नम्बरो में आबादी बनी हुयी है तथा वर्तमान में भी आबादी प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। आबादी का रकबा किसी भी व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज नही हो सकता परन्तु ख0न0 381 रकबा 14 ऐयर का इन्द्राज सेटलमेंन्ट में परसाद पुत्र ग्यारसा 1/2, पप्पू, प्रेमराज पुत्र रामपाल हिस्सा 1/2 के नाम करा दिया जबकि हाल ख0न0 381 गत ख0न0 219 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

नाला का भाग नहीं है और गत ख0न0 229 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा परसाद पुत्र ग्यारस्या, पप्पू, प्रेमराज पुत्र रामपाल बैरबा की खातेदारी का था। जिसकी एवज में उसे हाल ख0न0 381 रकबा 14 एयर, 379 रकबा 81 ऐयर व 380 रकबा 14 ऐयर कुल रकबा 1.09 है0 दो अलग अलग जमाबंदियों के जरिये दे दिया। इस प्रकार उसे जो ख0न0 229 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा के समतुल्य 1.04 है0 मिलना चाहिये था। उसके मुकाबले 5 ऐयर ज्यादा रकवा राजस्व रिकार्ड में दे दिया और 05 ऐयर रकबा आबादी भूमि का कम कर दिया। जबकि यह आबादी का भाग है तथा आबादी में काम आ रहा है। आबादी के रकबे के पास ही एक अन्य हाल ख0न0 381/1841 रकबा 07 ऐयर नानजी, रमेश पि0 गिर्राज मीना के नाम खातेदारी में लगा दिया जो मिलान क्षेत्रफल ख0न0 187–407 से बनना बताया गया है जबकि गत ख0न0 407 की खातेदारी रामलाल पुत्र जैराम मीना के नाम रही थी अर्थात नानजी, रमेश पुत्र गिर्राज मीना के नाम नही रही और गत ख0 न0 187 की भूमि चरागाह की थी जो आबादी गत ख0न0 220 के काफी दूर है। वास्तव में पुराने व नये नक्शो के मिलान से हाल ख0न0 381/1841 रकबा 07 ऐयर भी गत ख0न0 220 गैर मुमकिन आबादी का ही भाग है। इस प्रकार हाल ख0न0 381 रकबा 14 ऐयर में से 05 ऐयर, 381/1841 रकबा 07 ऐयर तथा ख0न0 393 रकबा 03 ऐयर कुल 15 ऐयर भूमि गैर मुमकिन आबादी ग्राम रामगढ मुराडा में दुरूस्ती कर दर्ज फरवायी जावे। यहाँ यह लिखना उचित है कि हॉल ख0न0 393 रकबा 3 एयर पहले से ही आबादी मे दर्ज है। नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल में भी इसी प्रकार दुरूस्ती करवायी जाना आवश्यक है। प्रार्थी का भूमि ख0न0 381/1841 पर मौके पर कब्जा है। उसके पत्थर निर्माण सामग्री इंजन चक्की आदि मौजूद है। सेटलमेन्ट अधिकारियों की लिपिकीय भूल है जो सुधारे जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नानजी रमेश पुत्र गिर्राज जाति मीना के नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी मे भूमि ख0न0 381/1841 रकबा 7 एयर व परसाद पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/2 व पप्पू ,प्रेमराज पुत्र रामपाल जाति बैरवा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज भूमि ख0न0 381 रकबा 14 एयर मे से 5 एयर रकबा इस प्रकार कुल रकबा 12 एयर हॉल ख0न0 393 रकबा 3 एयर के साथ कुल रकबा 15 एयर ग्राम रामगढ मुराडा गैरमुमकिन आबादी मे दर्ज किया जावे एवं उक्त व्यक्तियो के नाम से हजफ फरमाया जावे। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिकार्ड मे दुरूस्ती हेतु निर्देशित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने इस आशय का जबाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम मुराडा में आबादी की भूमि स्थित है। इस भूमि के खसरा नम्बरान की प्रार्थीगण को जानकारी नहीं है। जबाबदारान का पूर्व के अनुसार ही सायलान मे कब्जा चला आ रहा है। सायलान का भूमि खसरा नम्बर 381/1841 पर कब्जा नहीं है। सायलान इस प्रकरण की आड में खसरा नम्बर 381/1841 पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं, जिसका कि उन्हें कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि यह मामला लिपकीय भूल की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसी सूरत में सायलान को केवल दुरूस्ती इन्द्राज का दावा पेश करना चाहिए। धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं है। सैटिलमेन्ट का कार्य सन् 1980 में पूर्ण होकर पक्के पर्चे जारी होकर इन्द्राजात अन्तिम हो चुके है। सैटिलमेन्ट पूर्ण होने के 35 साल बाद यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है। सायलान ने यह भी दर्ज नहीं किया कि उन्हें इन इन्द्राजात की कब जनकारी हुई, जिससे स्पष्ट है कि सायलान को उक्त इन्द्राजात की शुरू से ही जानकारी रही है। और प्रार्थना पत्र में मियाद के बावत कोई मद भी इस कारण से नहीं लिखा है। मामला हाजा आबादी भूमि के इन्द्राजात की दुरूस्ती के बावत पेश किया है। आबादी भूमि के इन्द्राजात की दुरूस्ती के बावत राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, केवल दीवानी न्यायालय को ही है। सायलान ने इस आबादी की भूमि पर अपना कोई वैधानिक अधिकार नहीं बतलाया है, न ही यह बतलाया है कि उसके क्या अधिकार प्रभावित हो रहे है। सायलान का कोई कब्जा नहीं है। सायलान अपने आपको केवल ट्रेसपासर बतला रहे है। ट्रेसपासर को किसी प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। सायलान ने कोई प्रतिकूल कब्जा भी नहीं बतलाया है। आबादी की भूमि ग्राम पंचायत में वेस्ट करती है। आबादी की दुरूस्ती कराने का एवम् आबादी को भूमि को खातेदारी में दर्ज करने के बाद वापिस दुरूस्ती कराने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत का है तथा ऐसे मामलों में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है। ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाए वगैर प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं है। हाल खसरा नम्बर 381 में से जबावदार ने एक भूखण्ड जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है तथा विक्रय मूल्य अदा कर कब्जा प्राप्त किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराये वगैर यह प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं है। सायलान ने विक्रय पत्र के बावत तथ्यों को छिपाया है और स्वच्छ हृद्य से नहीं आया है। खसरा नम्बर 393 रकवा 3 ऐयर मे जबावदारान के पुख्ता मकान बाप दादाओं के समय से बने हुए हैं। इस प्रकार खसरा नम्बर 393 कोई वैकेट भूमि भी नहीं है। खसरा नम्बर 381/1841 पर नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से ही यह मुकदमा पेश किया है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जबाव में अंकित किया है कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही शुरू होने पर पूरे गांव में काश्तकारों का जिस प्रकार खेत व डौल मेड बनी हुई होती है, उसी अनुसार खसरा पत्रक में भू–प्रबन्ध विभाग खातेदारी का अंकन दर्ज करता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड तैयार किया गया है उसके अनुसार खसरा नम्बर व [illegible] बनाया गया है। जबावदार का साविक के अनुसार [illegible] में [illegible] चला आ रहा है। सायल का भूमि खसरा नम्बर 381/1841 पर कब्जा नहीं है। सायलान का इस भूमि पर कव से कब्जा है तथा किस आधार पर कब्जा है, नही बतलाया गया है। सायलान इस प्रकरण की आड में खसरा नम्बर 381/1841 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

नाजायज कब्जा करना चाहते है। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उक्त मामला कोई लिपिकीय भूल नहीं है, बल्कि भू–प्रबन्ध विभाग के इन्द्राजात के आधार का है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र आबादी भूमि के इन्द्राजात की दुरूस्ती के लिए पेश किया गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है केवल दीवानी न्यायालय को ही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह नही यह बतलाया है कि उसके क्या अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी अपने आपको केवल ट्रेसपासर बतला रहा है और अतिक्रमी को किसी प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। आबादी की भूमि ग्राम पंचायत में वेस्ट करती है। आबादी की दुरूस्ती कराने का एवम् आबादी की भूमि को खातेदारी में दर्ज करने के बाद वापिस दुरूस्ती कराने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को है तथा ऐसे मामले में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है। ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये वगैर प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं है। सायलान ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा गलत मिलान क्षेत्रफल बनाना एवं गलत इन्द्राज के आधार पर यह प्रार्थना पत्रपेश किया है, यह कोई लिपिकीय भूल नहीं है। तथा लिपिकीय भूल की परिभाषा में नहीं आती है। ऐसी सूरत में सायलान को केवल दुरूस्ती इन्द्राज का दावा पेश करना चाहिए। धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं है। सैटिलमेन्ट का कार्य सन् 1980 में पूर्ण होकर पक्के पर्चे जारी होकर इन्द्राजात अन्तिम हो चुके है। सैटिलमेन्ट पूर्ण होने के 35 साल बाद यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है। सायलान ने यह भी दर्ज नहीं किया है कि उन्हें इन इन्द्राजात की कब जानकारी हुई, जिससे स्पष्ट है कि सायलान को उक्त इन्द्राजात की शुरू से ही जानकारी रही है। प्रार्थना पत्र में मियाद के बावत कोई मद भी इसी कारण से नहीं लिखा है। अप्रार्थी संख्या 4 के पिता ग्यारसा पुत्र बुद्दा कौम चमार साकिन देह रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी कब्जेकाश्त में भूमि साविक खसरा नम्बर 229 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा व खसरा नम्बर 219 रकवा 1 बीघा कुल रकवा 5 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम रामगढ मुराडा तहसील गंगापुर सिटी है। जिसके वर्तमान भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर साविक खसरा नम्बर 229 रकवा 4 बीघा 4 विस्वा के नये खसरा नम्बर 379 रकवा 0.81 है0, खसरा नम्बर 380 रकवा 0.14 है0 कुल 0.95 है0 कायम किये गये है। जो साबिक की तुलना में 0.10 है0 रकवा कम है। इस प्रकार साविक खसरा नम्बर 219 रकवा 1 बीघा का नया खसरा नम्बर 381 रकवा 0.14 है0 कायम किया गया है, जो साविक की तुलना में 0.11 है0 रकवा कम है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 के साबिक रकवे के मुकावले हाल भू–प्रबन्ध में 0.20 है0 रकवा कम दिया गया है जो दुरूस्ती योग्य है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 4 के नाम कमी रकवा 0.20 है0 रकवा [illegible] राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाया जावे। प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की अराजियात खसरा नम्बर 381 रकवा 0.14 है0 में नामान्तरकरण [illegible] दिनांक 07.04.2011 रूपान्तरकरण से प्रसाद पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/2 पप्पू, प्रेमराज [illegible] हिस्सा 1/2 में से बने नवीन खसरा नम्बर 1934/381

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

रकबा अंकन बदस्तूर जमाबंदी रखा गया है। सायलान ने खसरा नम्बर 381/1841 पर नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से ही यह मुकदमा पेश किया है। अतः जबाब पेश कर निवेदन हे कि सायलान काप्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार ने अपने जबाव में अंकित किया है कि एकीकरण खतौनी सम्बत् 2019 में खसरा नम्बर 220 में रकबा 12 विस्वा गै.मु. आबादी दर्ज है। वादी ने खसरा नम्बर 220 का रकबा 12 विस्वा दर्ज किया जबकि एकीकरण खतौनी में रकबा 12 विस्वा आबादी में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 381 गत खसरा नम्बर 219 का ही बना है। आवेदक ने आबादी भूमि में कब्जा साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रार्थी ने आबादी भूमि सम्बन्धित कब्जा या कोई पट्टा या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074, नकल जमाबंदी संवत 2067–2070, नकल जमाबंदी संवत 2025–2028, नकल नक्शा ट्रेस हॉल, नकल नक्शा ट्रेस साबिक, नकल खतौनी जमांबदी भूमि एकीकरण संवत 2019, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है क्योकि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से आबादी भूमि के बाबत रिलीफ चाहता है। आबादी भूमि का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत मे निहित होता है। प्रार्थी द्वारा सम्बधित ग्राम पंचायत को पक्षकार भी नही बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी धारा 136 एल. आर. एक्ट के माध्यम से ख0न0 381/1841 रकबा 7 एयर, ख0न0 381 रकबा 14 एयर मे से 5 एयर रकबा कुल रकबा 12 एयर तथा ख0न0 393 रकबा 3 एयर भूम को गैर मुमकिन आबादी में दर्ज करवाना चाहता है। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत राजस्व अभिलेख मे दर्ज खातेदारी प्रविष्ठियों को परिवर्तित करवाना चाहता है जबकि इस धारा के तहत लिपिकीय गलती अथवा माईनर गलती को ही शुद्ध किया जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि आबादी की रही है एवं आबादी की भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हमारी राय में प्रस्तुत मामला धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत दुरूस्ती योग्य नही बनता है। प्रस्तुत मामले मे वादपत्र के माध्यम से ही दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested

(6)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल.आर. एक्ट अस्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करे। प्रार्थी को प्रस्तुत दस्तावेजात वापिस लौटाये जावे।

पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:36 IST
Reason: SelfAttested